

न्यायालय :- राधा उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खातेगांव,
जिला देवास, म.प्र.

एस.सी.एन.आई.ए. क्रमांक 57 / 2022
फायलिंग नंबर 1576 / 2022
सी.एन.आर नंबर एम.पी.4105001762 / 2022
फायलिंग दिनांक 12.10.2022

परमानंद

विरुद्ध

ईशाक

नेशनल लोक अदालत, दिनांक 09 मई 2026

परिवादी द्वारा श्री जितेन्द्र यादव अधिवक्ता
उपस्थित।

अभियुक्त द्वारा महेन्द्र गिरी अधिवक्ता
उपस्थित।

प्रकरण लोक अदालत में आदेश हेतु नियत है।

प्रकरण में परिवादी को पूर्व पेशी दिनांक को
संपूर्ण राशि प्राप्त हो चुकी है। अतः परिवादी ने प्रकरण
पूर्ण संतुष्टि में समाप्त किये जाने का निवेदन किया।

परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संस्थित
कार्यवाही समाप्त कर अभियुक्त ईशाक खां पिता मान
खां निवासी बरछा बुजुर्ग तहसील खातेगांव जिला देवास
म.प्र. को दोषमुक्त किया जाता है।

परिवादी को न्यायालय शुल्क वापस प्राप्त करने
का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए।

प्रकरण का परिणाम सी.आय.एस. व पंजी में
दर्ज कर प्रकरण नियत समयावधि में अभिलेखागार
प्रविष्ट किया जावे।

श्रीमती राधा उइके
पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क्र. 33
खातेगांव जिला देवास म.प्र.

श्री जयदीप यादव
अधिवक्ता सदस्य खण्डपीठ क्र. 33
खातेगांव जिला देवास म.प्र.